

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

मन्नी बाई पत्नि रामनारायण जाति कंडारा निवासी बैंगना तहसील बारां (मृतक)

1/1 देवकिशन पुत्र

1/2 रामचरण पुत्र जातिगण कंडारा निवासीगण बैंगना तहसील बारां

1/3 मुकट बिहारी पुत्र रामनारायण, जाति कंडारा, तेजाजी का बांडा, सांगानेर जयपुर

1/4 मोहनी पुत्री रामनारायण, जाति कंडारा आदर्श नगर, बंजारा कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा

1/5 मूर्ति पुत्री रामनारायण, जाति कंडारा, प्लॉट नं0 40 माल की दांडी, सांगानेर जयपुर

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ सिलिंग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973

उपस्थित :- 1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1/1 व 1/2)

निर्णय दिनांक 11.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बैंगना की आराजी ख0नं0 1280/991 रकबा 0.50 हैक्टर दिनांक 22.01.2002 को अप्रार्थिया को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी, जिस पर दिनांक 16.04.2002 को आवंटी को कब्जा दखल देकर नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 27.04.2002 से गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थिया द्वारा आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है। आवंटी अप्रार्थिया द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वयं काशत करना था जो आवंटी द्वारा नहीं कर नियमों की अवहेलना की गई है। अतः उक्त आवंटित भूमि वापस सिवायचक दर्ज करने योग्य है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1/1 व 1/2 जय्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी क्रम 1/3 ता 1/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1/1 व 1/2 को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1/1 व 1/2 अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।



Rohit

जिला कलक्टर
बारां (राज0)


हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा आवंटित भूमि पर पहले वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर राज. कृषि प्रयोजनार्थ सीलिंग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973 के नियम 17(4) की अवहेलना की है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2068-71 में उक्त आराजी अप्रार्थिया के गैर खातेदारी में ही दर्ज है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थिया को ग्राम बैंगना की सिलिंग सिवायचक आराजी खसरा नंबर 991 रकबा 0.50 है. का आवंटन दिनांक 22.02.2002 को भू आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बैंगना द्वारा किया गया था। अप्रार्थिया तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2068-71 में भी उक्त आवंटित आराजी अप्रार्थिया के गैर खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.10.2010 एवं दिनांक 05.08.2015 से आवंटित आराजी पर अप्रार्थिया का कब्जा नहीं होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया के गैर खातेदारी में दर्ज आराजी ग्राम बैंगना खसरा नंबर 1280/991 रकबा 0.50 है. का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। साथ ही तहसीलदार बारां को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर यदि अन्य किन्ही व्यक्तियों के अतिक्रमण है तो तुरन्त अतिक्रमण हटवाया जाए।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहितेश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,
बारां (राज.)